न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 22/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– जसवीरसिंह पुत्र तेजासिंह जाति सैनी सिख निवासी चक 15 बी.एल. डी. (ए) तह. विजयनगर थाना रामसिंहपुरा जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री नायबसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.04.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10.11.2014, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 01/98 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 01/98 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं.1863.70 दर्ज है, जो दिनांक 27.04.2014 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2014 में अपीलांट के विरूद्ध मु.सं. 155/05 अन्तर्गत धारा 307, 323, 336, 147, 148, 149 आईपीसी में चालान हुआ तथा निर्णय दिनांक 11.9.2006 से दोषमुक्त, मु.सं. 125/09 अन्तर्गत धारा 283 आईपीसी चालान दिनांक 09.06.09 निर्णय दिनांक 5.12.13 से सजा तथा 186 आईपीसी में सजा दिनांक 31.1.2010 3 पीओ के तहत सम्यक भर्त्सना का दण्ड देते हुए परीवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा, का उल्लेख करते हुए "नवीनीकरण किया जाना अनुचित है" की टिप्पणी की गई । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रिपोर्ट दिनांक 12.06.2014 के आधार पर अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2014 द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/98 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह का मुख्य कथन है कि पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार मु.नं. 155/05 थाना रामसिंहपुरा में दर्ज हुआ जिसको अदालत अतिरिक्त सेशन जज, श्रीविजयनगर ने मु.नं. 17/06 को निर्णय दिनांक 11.09.2006 द्वारा अपीलांट को बरी किया गया है। मु.नं. 125/09 में अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर में भी अपीलांट को धारा 3 का परीवीक्षा का लाभ देकर भर्त्सना कर व अभियोजन व्यय के रूप में 100/–रूपये जमा कराने पर रिहा किया गया जो सजा की श्रेणी में नहीं आता है। यह मुकदमा सिर्फ राजनैतिक कारणों से व ऊँची आवासी में भाषणबाजी करने के कारण दर्ज करवाया गया था। इसी प्रकार मु.नं. 248/2011 अन्तर्गत धारा 186 भादंसं. में ग्राम न्यायालय अनूपगढ द्वारा 31.01.2013 राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में दर्ज हुआ जिसमें भी अपीलांट को धारा 3 परीवीक्षा अधि. पर छोड़ा गया। इस प्रकार उपरोक्त तीनों मुकदमों से अपीलांट का कोई आपराधिक चरित्र नहीं बनता है। उसमें अपने हथियार का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया, केवल राजनैतिक द्वेषतावश दर्ज करवाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मुकदमों में हुए निर्णयों की ओर ध्यान नहीं दिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का कानूनी अधिकार नहीं था, यह अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को ही है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में भी नहीं आता है। अपीलांट एक पढ़ा–लिखा, सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता है। आपराधिक प्रवृति का नहीं है। केवल प्रथम सूचना दर्ज होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता। इस संबंध में Cr.L.R.(Raj.)2005(2) page no. 907 खेमसिंह बनाम स्टेट ऑफ राज. को अवलोकनीय बताते हुए अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने का निवेदन किया ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2014 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना ''अनुचित'' है, की टिप्पणी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दर्ज मुकदमों के आधार पर आधारित है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.06.14 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी की गई है। परन्तु रिपोर्ट में संबंधित विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का अवलोकन व विश्लेषण नहीं किया गया है, जिसमें अपीलांट को परीवीक्षा का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा किये कथनानुसार पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के आपराधिक पृष्ठभूमि का होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, से पूर्णतया सहमत हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह इंगित नहीं किया कि लोक शान्ति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किसी प्रकार अपीलार्थी का लाइसेंस निरस्त करना न्यायोचित है ? अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने से पूर्व उसे सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने वरवक्त बहस जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट को उचित बताया है, परन्तु इससे अपीलांट के आपराधिक प्रवृति का होना साबित नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त आधारों पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर